<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>30-03-2025</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने श्रीमती अर्चना गांधी पत्नी स्व. उमेश कुमार गांधी डीआईजी जेल भोपाल और अजय कुमार गांधी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), भोपाल के समक्ष 29.03.2025 को अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 29.03.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल द्वारा आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। अपनी जांच के दौरान, विशेष पुलिस स्थापना (एसपीई), लोकायुक्त, भोपाल ने 5.13 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी और अन्य के खिलाफ दो आरोप पत्र दायर किए, जिनमें से एक विशेष न्यायालय, पीसी अधिनियम के समक्ष और दूसरा प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल की अदालत में दायर किया गया।

ईडी ने अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय (पीओसी) की पहचान/पता लगाने के लिए पीएमएलए के तहत जांच की। जांच के दौरान पता चला कि स्वर्गीय उमेश कुमार गांधी ने अपने और अपने परिवार के सदस्यों और सहयोगियों के नाम पर भारी चल और अचल संपत्ति अर्जित की थी और पीओसी का उपयोग करके खरीदी गई 4.68 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति की पहचान मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे सागर, कटनी, सीहोर, भोपाल और इंदौर में स्थित 20 अचल संपत्तियों के रूप में की गई है और अन्य चल संपत्तियां जैसे बैंक खातों में शेष राशि, आभूषण, बीमा पॉलिसियां, म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र हैं और इन्हें ईडी द्वारा पीएओ दिनांक 03.01.2025 के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया है।